



Neutral Citation No.- 2026:AHC:124649

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 19030 वर्ष 2026

अंकित उर्फ डिंपल

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : दरवारी लाल

विपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री दरवारी लाल, राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री शिव दत्त शुक्ला को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह वर्तमान जमानत आवेदन केस अपराध संख्या 99 वर्ष 2026, बीएनएस की धारा 137(2), 87, 65(1) और पोक्सो अधिनियम की धारा 5(एल)/6, पुलिस स्टेशन दातागंज, जिला बदायूं के तहत विचारण के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. शुरुआत में ही, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रथम मुखबिर को नोटिस तामील कर दिया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एफआईआर 22 दिन की देरी से दर्ज की गई है और पीड़िता ने अपने बयान में कहा है कि वह अपनी मर्जी से घर से निकली थी और उसने आवेदक के साथ शादी कर ली थी और वह उसकी पत्नी के रूप में उसके साथ रह

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रही थी। आवेदक 06.04.2026 से जेल में है और यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया और प्रस्तुत किया कि रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की आयु लगभग 15 वर्ष है।

6. एफआईआर 22 दिन की देरी से दर्ज की गई है क्योंकि घटना 13.03.2026 की है जबकि एफआईआर 05.04.2026 को दर्ज की गई थी। एफआईआर के अनुसार, आवेदक और सह-आरोपी मोहित ने प्रथम मुखबिर की बेटी को मोटरसाइकिल पर बहला-फुसलाकर ले गए थे और प्रथम मुखबिर अपनी बेटी के वापस आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब वह लंबे समय के बाद भी नहीं लौटी, तो वर्तमान एफआईआर दर्ज की गई। पीड़िता को बरामद कर लिया गया है और उसने अपने बयान में कहा है कि वह अपनी मर्जी से घर से निकली थी और उसने आवेदक के साथ शादी कर ली थी और वे पति-पत्नी के रूप में साथ रह रहे थे। पीड़िता की रेडियोलॉजिकल आयु 15 वर्ष पाई गई है।

7. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए तथा जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों के समक्ष लंबित आपराधिक मामलों के भारी बोझ को ध्यान में रखते हुए, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधिदेश को देखते हुए, जो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 में रिपोर्ट किया गया है, और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** मामले में इस न्यायालय के दिशानिर्देश को देखते हुए, जो 2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 6765 में रिपोर्ट किया गया है, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

8. तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. आवेदक-अंकित उर्फ डिंपल जो उपरोक्त अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के साथ, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि के व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक सीधे या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए ईमानदारी से विचारण/जांच में सहयोग करेगा।

(iii) जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध करने में शामिल नहीं होगा।

(iv) आवेदक उसके द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित रहेगा।

10. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

11. बांड स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए। आवेदक के साथ-साथ जमानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

12. यह आगे निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे।

13. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह 31.01.2023 को दिए गए (2024) 10 एससीसी 685 में रिपोर्ट किए गए जमानत देने के लिए नीति रणनीति, इन री: सुओ मोटो रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 वर्ष 2021 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 24 घंटे के भीतर संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल द्वारा आवेदक को इस आदेश की एक प्रति भेजे।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(जितेंद्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

2 जून, 2026

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।